फोन : कार्यालय : 0551 – 2340363

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2020/07– 316 **दिनांक** 10 / 7 /2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबू विश्राम सिंह महिला महाविद्यालय, रोहारी, गोरखपुर।

विषय : चयनित प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र **दिनांक 03.02.2020** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **प्राचार्य** के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्राचार्य का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पद/विषय
1	**डॉ0 मनोज कुमार सिंह**	श्री शंकर सिंह	10-Jan-72	प्राचार्य

नोट–

1. उपर्युक्त चयनित **प्राचार्य** का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. अनुमोदित प्राचार्य का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
3. डॉ0 मनोज कुमार सिंह के पूर्व महाविद्यालय में अनुमोदन के सत्यापन हेतु वि0वि0 के पत्रांक सत्यापन/सम्बद्धता/2020/02–1793 दिनांक 12.02.2020 द्वारा बंशी चन्द पी0जी0 कालेज, चिलवां, गोरखपुर को पत्र प्रेषित किया गया था। वि0वि0 द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में प्राप्त प्रबन्धक/प्राचार्य के पत्रांक शून्य दिनांक 04.03.2020 द्वारा अनुभव प्रमणित है, जिसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसमें किसी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो, अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाय।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता/प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा **प्रवक्ता/प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्रवक्ता/प्राचार्य एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता/प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

डॉ0 (ओम प्रकाश)
कुलसचिव